भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3457

बुधवार, 22 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआई प्रमाणन

3457. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीआई प्रमाणन के पश्चात बंगानपल्ली और सुवर्णरेखा का वार्षिक रूप से निर्यात किया जाता है और ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उपर्युक्त आमों का निर्यात बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): केवल बंगानपल्ली आमों को दिनांक 3 मई, 2017 को जीआई प्रमाणन प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व, विभिन्न प्रकार के आमों के निर्यात को ट्रैक करने के लिए कोई विशिष्ट कोड नहीं था। तदनुसार, वर्ष 2020-21 से बंगानपल्ली आमों के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार है:-

यूएसडी: अमेरिकी डॉलर

आईटीसीएचएस कोड और विवरण	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	
	मात्रा किलोग्राम में	मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में	मात्रा किलोग्राम में	मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में
08045022 बंगानपल्ली	830549	1.46	1674035	3.02

नोट:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अधीन हैं।
- डेटा स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार।

उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में, माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (इसके बाद जीआई अधिनियम), माल से संबंधित भौगोलिक संकेतको के पंजीकरण के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है तथा एक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक को प्रदान किए गए बौद्धिक संपदा

अधिकारों के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के खिलाफ संरक्षण और प्रवर्तन प्रदान करता है जिससे माल की सामूहिक प्रतिष्ठा को संरक्षित किया जा सके। सरकार ने जीआई के रूप में पंजीकृत भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एजेंसी है, जो भारत की आयात और निर्यात नीतियों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है और जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। डीजीएफटी विभिन्न अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा, सरकार ने फलों सहित विभिन्न निर्यात उत्पादों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की स्थापना की है और इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करके, विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर और भारत से समग्र निर्यात में वृद्धि करके भारतीय निर्यातकों की सहायता करते हैं। कंपनी अधिनियम/सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठन के रूप में परिषदों का गठन किया जाता है।

फियो (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन) देश का शीर्ष व्यापार संवर्धन संगठन है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और निजी व्यापार और उद्योग वर्ग द्वारा स्थापित किया गया था। यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने और सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यह भारतीय निर्यातकों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इन निर्यात संवर्धन संगठनों द्वारा जीआई टैग वाले उत्पादों सहित अन्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है।

साथ ही, राष्ट्रीय आईपीआर नीति, 2016 देश भर में जीआई के संवर्धन पर अत्यधिक बल देती है। इस संबंध में, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने जीआई सहित आईपीआर से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित कार्रवाई करने तथा नीति के चिह्नित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बौद्धिक संपदा तथा प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) का गठन किया है। सीआईपीएएम को देश भर में स्कूलों, कॉलेजों/विश्वविद्यालयों तथा उद्योग में आईपीआर जागरूकता अभियान आयोजित करने, प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने, आईपीआर अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन का समन्वय करने एवं देश में आईपी के

संवर्धन और वाणिज्यीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के अध्ययन और कार्यान्वयन में सहायता करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अलावा, जीआई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पंजीकृत भारतीय जीआई को बढ़ावा देने, संभावित जीआई की पहचान करने तथा हितधारकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पहल और कार्यकलाप शुरू करने के लिए सरकार ने आईपीआर नीति प्रबंधन स्कीम के तहत 3 वर्ष की अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए 75 करोड़ रूपये निर्धारित किए हैं।

*****